न्यायालय समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा
उत्पाद अधिहरण वाद संख्या–179/2019
बिहार सरकार द्वारा वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा बनाम मनीष कुमार

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
07/02/2020	आदेश	

आदेश

प्रस्तुत वाद वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा के पत्रांक 669/म0 नि0को0 दिनांक 16.07.2019 से प्राप्त सदर (मब्बी ओ0पी0) थाना कांड संख्या–429/18 दिनांक 27.10.2018 में बिहार मद्य निषेद्य एवं उत्पाद अधिनियम–2016 के अन्तर्गत जब्त वाहन टेम्पु पंजीयन सं0–BR07PB-2892 को राज्यसात् करने हेतु अनुशंसा के आलोक में प्रारंभ की गयी। सामान्य अनुक्रम में विपक्षी वाहन स्वामी को कारण पृच्छा हेतु नोटिस निर्गत किया गया। तदालोक में विपक्षी वाहन स्वामी की ओर से कारण पृच्छा प्राप्त है, जो अभिलेख पर संधारित है।

इसी क्रम में विपक्षी वाहन स्वामी की ओर से माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर सी0डब्लू0जे0सी0 नम्बर–24565/2019 में दिनांक 23.01.2020 को पारित आदेश की प्रति के साथ वाहन विमुक्ति हेतु आवेदन के साथ बंधपत्र, शपथ पत्र/अंडरटेकिंग तथा माननीय उच्च न्यायालय, पटना के आदेशानुसार मो0–75,000/- (पछहत्तर हजार) रूपये का दो प्रतिभूति क्रमशः (1) श्रवण कुमार पूर्वे, पिता– राम बहादुर पूर्वे, मुहल्ला–लक्ष्मीसागर, थाना–ल0ना0मि0 विश्वविद्यालय, जिला–दरभंगा का टेम्पु (तीन चक्का), रजि0नं0–BR07PA-5419 कीमत बीमित मूल्य के अनुसार मो0–90,000/- (नब्बे हजार) रूपये मात्र (2) अखिलेश कुमार मिश्र, पिता–हेम नारायण मिश्र, ग्राम–चूनाभट्टी, थाना–सदर, जिल–दरभंगा का ऑटो रिक्शा रजि0नं0–BR07P-6536 कीमत बीमित मूल्य के अनुसार मो0–85,500/- (पचासी हजार पाँच सौ) रूपये मात्र का दाखिल किया गया

दाखिल सभी कागजात विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अभिप्रमाणित तथा विभागीय अधिवक्ता द्वारा सत्यापित है, जिसे सही पाकर स्वीकृत किया जाता है।

अतएव दाखिल बंधपत्र, प्रतिभूति आदि एवं माननीय उच्च न्यायालय, पटना के सी0डब्लू0जे0सी0 नं0–24565/2019 में दिनांक 23. 01.2020 को पारित आदेश के आलोक में सदर (मब्बी ओ0पी0) थाना कांड संख्या–429/18 दिनांक 27.10.2018 में जब्त वाहन टेम्पु पंजीयन सं0–BR07PA-2892 को विमुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

पारित आदेश की प्रति के साथ वाहन विमुक्ति हेतु थानाध्यक्ष, सदर (मब्बी ओ0पी0) को बंधपत्र आदि तथा माननीय उच्च न्यायालय, पटना के आदेश की छायाप्रति के साथ अनुपालनार्थ भेजें। उन्हें निदेश दिया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के कंडिका (V) एवं (VI) में पारित आदेश के आलोक में वाहन विमुक्ति के समय

फोटोग्राफी एवं पंचनामा तैयार करते हुए द्वितीय साक्ष्य के रूप में सुरक्षित रखेंगे।

आदेश की प्रति अधीक्षक उत्पाद, दरभंगा को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजें।

आदेश की प्रति वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा को आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजे।

आदेश की प्रति आयुक्त उत्पाद, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजें।

उपर्युक्त विवेचना के साथ इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा।

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा।